169

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–1665–तीन/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–07–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर सम्भाग, सागर के प्रकरण क्रमांक–642/2010–11/अ–2

.....

1– मध्यप्रदेश राज्य
2– मध्यप्रदेश राज्य द्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग क्षेत्रीय प्रबंधक मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम खुजराहो
3– मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेर्ड द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक खुजराहो, जिला–छतरपुर, म.प्र.

------आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला–छतरपुर

------अनावेदक

.....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिलीप सिंह तोमर, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24 01/2019 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–07–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खुजराहो स्थिति भूमि खसरा क्रमांक 2.598 हैक्टेयर भूमि शासन द्वारा होटल निर्मित एवं संचालन हेतु आवेदक पर्यटन विभाग को आवंटित की थी। अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने उक्त भूमि को कृषि भूमि न होने के कारण भू–भटक रुपये 28527/– तथा प्रीमियम 78030/– रुपये एवं अर्थदण्ड 200/– कुल रकम 1,06,757 की वसूली कायम की एवं उक्त रकम की वसूली

के एवज में सम्पत्ति को राजसात कर उक्त सम्पत्ति पर भू–भाटक एवं प्रीमियम तथा अर्थदण्ड कायम किये जाने का आदेश दिनांक 19–10–2000 को पारित किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19–10–2000 के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित खजुराहो द्वारा अपर कलेक्टर जिला–छतरपुर के यहॉ प्रथम अपील दिनांक 29–10–2007 को प्रस्तुत की, जिसमें अपर कलेक्टर ने अपील को समय बाह्य (Time Barred) मानते हुये दिनांक 26–10–10 से निरस्त की । अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश दिनांक 26–10–10 के विरूद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 28–05–2011 को प्रस्तुत की । अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 642/2010–11/अ–2 में पारित आदेश दिनांक 15–07–2011 से निर्धारित समय–सीमा (Limitation) के 60 दिवस निकालने के उपरांत अपील 132 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण समय बाह्य (Time -Barred) मानते हुये निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर के अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक अभिभाषक ने दिनांक 29–10–2007 को अपर कलेक्टर के समक्ष अपील पेश की थी। अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क सुनने के उपरांत दिनांक 26–10–2010 को प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया है। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 26–10–2010 को आदेश पत्रिका पर नोट किया है। आदेश पत्रिका पर आवेदक अभिभाषक के हस्ताक्षर अंकित है, इससे स्पष्ट होता है कि अपर कलेक्टर के आदेश की जानकारी आवेदक अभिभाषक को थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 26–10–2010 के आदेश की जानकारी होने पर भी दिनांक 28–05–2011 को अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आवेदक के द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील आवेदन के साथ अवधि अधिनियम (Limitation Act) की धारा 5 के अंतर्गत विलम्ब माफी हेतु न तो कोई आवेदन दिया है, और न ही कोई समाधान कारक ठोस कारण बतलाया है। न्याय का यह Settled Principle है कि वरिष्ठ न्यायालय में अपील/निगरानी/रिव्यु दायर करने में विलम्ब हेतु धारा 5 के आवेदन के साथ विलम्ब हेतु एक–एक दिवस (Day to Day) का समाधान कारक (Justification) देना आवश्यक है, जो आवेदक के द्वारा अधीनस्थ अपर आयुक्त के न्यायालय में नहीं दिया गया है। इस कारण अपर आयुक्त ने अपील को समय बाह्य होने से निरस्त की है। आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय सहित इस

न्यायालय में भी विलंभ के संबंध में कोई ठोस समाधनकारक कारण नहीं बताया है, जिससे की विलंभ को क्षमा किया जा सके।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–07–2011 एवं अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश दिनांक 26–10–2010 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने के कारण निगरानी निरस्त की जाती है।

3/3

(आर.के. जैन) 24.01.19
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,